भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2522
6 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए

सागर परिक्रमा

2522 सुश्री सयानी घोष:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 11 जनवरी, 2024 को पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में आयोजित सागर परिक्रमा चरण बारह के अपेक्षित परिणाम क्या होंगे;
(ख) खारे पानी में जलकृषि के निरीक्षण के क्या निष्कर्ष निकले और सरकार द्वारा मछुआरों को तब से क्या प्रोत्साहन दिया गया है;
(ग) राज्य में स्वस्वदेशी बीज उत्पादन और विविधीकृत खेती जैसी प्रौद्योगिकियों तक पहुंच बढ़ाने के लिए कितनी राजसहायता अथवा वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और
(घ) राज्य में विशेषज्ञों द्वारा स्वदेशी मछली प्रजातियों पर अनुसंधान के लिए क्या तकनीकी सहायता प्रदान की गई है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) मार्च 2022 से जनवरी 2024 के दौरान 75वें आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा 12 चरणों में एक आउटरीच कार्यक्रम 'सागर परिक्रमा' का आयोजन किया गया । इस पहल का उद्देश्य देश के तटीय क्षेत्रों के मछुआरों, तटीय समुदायों और मात्स्यिकी क्षेत्र के हितधारकों से जुडकर उन्हें मात्स्यिकी क्षेत्र की सरकारी योजनाओं की जानकारी देना, टिकाऊ (सस्टेनेबल) फिशिंग प्रैक्टिस को बढ़ावा देना और क्षेत्र के टिकाऊ विकास के लिए समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र (ईकोसिस्टम) की सुरक्षा करना था । पश्चिम बंगाल में सागर परिक्रमा कार्यक्रम का चरण-XII, 10 और 11 जनवरी 2024 को आयोजित किया गया था, जिसमें दीघा, शंकरपुर, पेटुआघाट, बक्खाली, सागरद्वीप द्वीप और आईसीएआर-सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेकीशवॉटर एक्वाकल्चर (सीआईबीए) काकद्वीप के क्षेत्रीय केंद्र में मछुआरों और हितधारकों के साथ बातचीत की गई थी । मछुआरों और हितधारकों को प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई), किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) और मात्स्यिकी एवं जलकृषि अवसंरचना विकास निधि / फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रचर डेव्लपमेंट फ़ंड (एफआईडीएफ) जैसी सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई तथा उन्हें इन योजनाओं के तहत लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

(ख) मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने पीएमएमएसवाई के अंतर्गत विगत दो वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य में खारे पानी की जलीय कृषि सहित मात्स्यिकी और जल कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 209.90 करोड़ रुपए के केंद्रीय अंश के साथ 497.88 करोड़ रुपए की लागत से पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

(ग) प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने स्वदेशी मत्स्य प्रजातियों सहित मत्स्य बीज उत्पादन के लिए 47.45 करोड़ रुपए की लागत से हैचरी की 190 इकाइयों की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की परियोजनाओं को मंजूरी दी है । मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल राज्य में फिश फ़ार्मिंग के विविधीकरण (डाईवेरसिफीकेशन) के लिए 17.80 करोड़ रुपए की लागत से रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम की 62 इकाइयों और 48 हेक्टेयर नए क्षेत्र को जल कृषि के तहत लाने की मंजूरी दी है ।

(घ) मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार, पीएमएमएसवाई के केंद्रीय क्षेत्र घटक के तहत रिवर रेंचिंग गतिविधि को कार्यान्वित कर रहा है, ताकि पश्चिम बंगाल सहित 17 राज्यों को कवर करने वाली प्रमुख नदी प्रणालियों में स्वदेशी प्रजातियों के मत्स्य स्टॉक में वृद्धि की जा सके, जिसमें आईसीएआर के मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थानों, अर्थात् सेंट्रल इनलैंड फिशेरीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (आईसीएआर-सीआईएफआरआई), सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेशवॉटर एक्वाकल्चर (आईसीएआर-सीआईएफए) और डाइरेक्ट्रेट ऑफ कोल्ड्वाटर फिशेरीस रिसर्च इन्स्टीटेयूट (आईसीएआर-डीसीएफआर) से तकनीकी सहायता ली गई है । इन गतिविधियों के तहत, गंगा, महानदी, ब्रह्मपुत्र, कावेरी और नर्मदा जैसी प्रमुख नदी प्रणालियों में अन्य स्वदेशी प्रजातियों के साथ-साथ *लेबियो रोहिता, कैटला कैटला, सिरहिनस मृगला* और ब्राउन ट्राउट जैसी स्वदेशी प्रजातियों की 822 लाख फिंगरलिंग्स की स्टॉकिंग की गई है । पश्चिम बंगाल के काकद्वीप में स्थित आईसीएआर-सीआईबीए को पीएमएमएसवाई तथा आईसीएआर द्वारा स्वदेशी प्रजातियों जैसे हिल्सा, बंगाल ब्रीम, लॉन्ग व्हिस्कर कैटफिश (मिस्टस गुलियो), स्कैट फिश और इंडियन व्हाइट श्रीम्प के अनुसंधान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए सहायता दी जाती है । इसमें बीज उत्पादन को बढ़ाना, फ़ार्मिंग के लिए बीजों और फोरमूलेटेड फीड की उपलब्धता में सुधार करना और उन्नत फ़ार्मिंग के तरीकों को अपनाना शामिल है । इसके अलावा, नेशनल सरवेलेन्स प्रोग्राम फॉर एक्वाटिक एनिमल डीसीसेज़ (एनएसपीएएडी) के तहत राज्य के मत्स्य किसानों को रोग प्रबंधन और मार्गदर्शन के लिए सहायता भी प्रदान की जाती है, जिसे मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा पीएमएमएसवाई के तहत वित्त पोषित किया जाता है ।

*****